वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिनियम 415/2005 द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय)

Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University

(Formerly Uttarakhand Technical University Established by Act no. 415/2005 by Uttarakhand Government)
Chakrata Road, P.O. Chandanwadi, Premnagar, Suddhowala, Dehradun, Uttarakhand(India)
Tel.No.0135-2774067 Website: www.uktech.ac.in

पत्रांकः 856/वी.मा.सि.भ.उ.प्रौ.वि.वि./2026–27 दिनांकः 16 .06.2026

सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त तकनीकी, फार्मेसी एवं विधि संस्थानों को अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण शैक्षिक सत्र 2026–27 एवं नवीन तकनीकी, फार्मेसी एवं विधि संस्थानों शैक्षिक सत्र 2027–28 तथा पाठ्यक्रमों में सीट वृद्धि हेतु विश्वविद्यालय के ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल पर आवेदन आंमत्रित किये जाते हैं।

अतः समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिकानुसार आवेदन किये जाने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक सम्बन्धित पोर्टल में आवेदन करने का कष्ट करें:–

अस्थाई सम्बद्धता व अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रकिया हेतु समय–सारणी

(शैक्षिक सत्र 2026–27)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों व नवीन पंजीकृत संस्थानों से शैक्षिक सत्र 2026–27 की अस्थाई सम्बद्धता व अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित तिथियां।	20 जून, 2026 से 05 जुलाई, 2026 तक
प्राप्त आवेदनों में संस्था स्तर पर सूचना अपडेट किये जाने अथवा सुधार किये जाने हेतु निर्धारित तिथियां।	10 जुलाई, 2026 से 22 जुलाई, 2026 तक
पोर्टल बंद किये जाने की तिथि समाप्ति उपरान्त संस्था द्वारा विलम्ब से आवेदन किये जाने की दशा में अर्थदंड की राशि रू0 10000/– सहित आवेदन किये जाने हेतु निर्धारित तिथियां।	25 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक
प्राप्त आवेदनों पर निरीक्षण समिति का गठन	आवेदन प्राप्ति के 25 दिवस के भीतर
गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई	समिति गठित किये जाने की तिथि से 01 माह के भीतर
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित की गयी कमियों का संस्था स्तर पर निराकरण/अनुपालन	निरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के 25 दिवस के भीतर
संस्था के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत प्रस्ताव को निरीक्षण समिति की सुस्पष्ट संस्तुति के आधार पर लोकभवन, उत्तराखण्ड को ऑनलाईन प्रेषित किये जाने की कार्रवाई	निरीक्षण समिति द्वारा सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर

नोटः–

- ***शैक्षिक सत्र 2026–27 की अस्थाई सम्बद्धता व अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों को शैक्षिक सत्र 2026–27 हेतु नियामक संस्था की स्वीकृति/मान्यता प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। नियामक संस्था की स्वीकृति/मान्यता प्राप्त न होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था के अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।***

सत्र 2027–28 से नवीन संस्थान/पाठ्यक्रम संचालित किये जाने व पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि से सम्बन्धित प्रकिया हेतु समय–सारणी

प्रथम चरण नवीन संस्थान/पाठ्यकम संचालित करने व पूर्व संचालित पाठ्यकमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु इच्छुक संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी हेतु ऑनलाईन सम्बद्धता पोर्टल खोले जाने की तिथि तथा पोर्टल बंद किये जाने की तिथि	20 जून, 2026 से 05 जुलाई, 2026 तक
प्राप्त आवेदनों में संस्था स्तर पर सूचना अपडेट किये जाने अथवा सुधार किये जाने हेतु निर्धारित तिथि	10 जुलाई, 2026 से 22 जुलाई, 2026 तक
अंतिम चरण यदि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्ति उपरान्त भी कोई संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी उपरोक्त हेतु आवेदन के लिए इच्छुक है, तो अर्थदंड की राशि रू0 10000/– प्रति पाठ्यकम की दर सहित आवेदन किये जाने हेतु अंतिम तिथि	25 जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 तक
प्राप्त आवेदनों पर निरीक्षण समिति का गठन	आवेदन प्राप्ति के 25 दिवस के भीतर
गठित निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई	समिति गठित किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर
निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में इंगित की गयी कमियों का संस्था स्तर पर निराकरण/अनुपालन	निरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के 25 दिवस के भीतर
निरीक्षण समिति द्वारा संस्था के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त विश्वविद्यालय में प्रस्तुत प्रस्ताव को निरीक्षण समिति की सुस्पष्ट संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार की अनापत्ति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने की कार्रवाई	निरीक्षण समिति द्वारा सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर

नोट'

➢ ***आवेदन करने वाली संस्था/ट्रस्ट/सोसाईटी को उपरोक्त प्रकिया पूर्ण होने उपरान्त नवीन संस्थान/पाठ्यकम संचालित किये जाने, पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की शाखा में वृद्धि/सीट वृद्धि हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति तथा नियामक संस्था की स्वीकृति/अनुमोदन विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र 2027–28 की प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ होने से पूर्व विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।***

भवदीय,

(डॉ0 राजेश उपाध्याय)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, लोकभवन सचिवालय, देहरादून को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. इंचार्ज, यू0एम0एस0 पोर्टल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. वेबमास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर समस्त संस्थान/सोसाइटी/ट्रस्ट तथा सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 राजेश उपाध्याय)
कुलसचिव